180

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A No. 261/2024
in
Original Application No. 611/2024

THE MATTER OF:

BHARATIYA KISAN UNION (PURWA) VERSUS UNION OF INDIA & ORS.

Index

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	**Short Reply on behalf of Respondent No. 3, National Mission for Clean Ganga (NMCG)** in I.A No. 261/2024 in Original Application No. 611/2024, in compliance to Hon'ble NGT order dated 03.07.2024.	2 to 5
2.	**Annexure –I:** A copy of Hon'ble NGT order dated 03.07.2024.	6 to 8
3.	**Annexure-II:** A copy of NMCG vide letter dated 01.05.2023 issued to District Magistrate, Uttar Pradesh; Pollution Control Board, and Divisional Rail Manager (DRM) Varanasi.	9 to 16
4.	**Annexure-III:** A copy of NMCG vide reminder letter dated 08.06.2023 issued to District Magistrate, Uttar Pradesh; Pollution Control Board, and Divisional Rail Manager (DRM) Varanasi.	17 to 18
5.	**Annexure-IV:** A copy of Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPPCB) Report dated 12.06.2023 regarding field inquiry conducted on 30.05.2023.	19 to 23
6.	**Annexure-V:** A copy of State Mission Clean Ganga (SMCG) vide letter dated 26.06.2024 requested the Divisional Railway Manager, Prayagraj to submit the factual comprehensive ground report.	24 to 25
7.	**Annexure-VI:** A copy of NMCG vide letter dated 06.11.2023 issued to District Magistrate to halt the on-going construction of the rail bridge project and obtain Approval/ No objection certificate.	26 to 28
8.	**Annexure -VII:** A copy of ITD Cementation Ltd. vide letter dated 17.11.2024 regarding no objection received from UPPCB.	29 to 30

9.	**Annexure -VIII:** A copy of NMCG vide letter dated 04-01-2024 issued to District Magistrate and UPPCB to conduct a substantial inquiry.	31 to 32
10.	**Annexure -IX:** A copy of General Manager of Rail Vikas Nigam Ltd vide letter dated 01.03.2024 seeking approval for Daraganj Rebuilding Project (Bridge No. 111) on the Ganga River under paragraph 42 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.	33
11.	**Annexure -X:** A copy of Office Memorandum dated 07.12.2023.	34 to 35
12.	**Annexure-XI:** A copy of RVNL vide letter dated 02.09.2024 for post facto approval for the project, Bridge No. 111 as per Para 6 (3) of Authority order.	36 to 37

Date**:** 24.09.2024
Place: Delhi

Filed By

GIGI.C.GEORGE

ADVOCATE

STANDING COUNSEL(UOI)

NATIONAL GREEN TRIBUNAL

M-9810625315

Email: gigicgeorge.adv42@yahoo.in

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
(PRINCIPAL BENCH)

I.A No. 261/2024
in
Original Application No. 611/2024

THE MATTER OF:

BHARATIYA KISAN UNION (PURWA) VERSUS UNION OF INDIA & ORS.

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (NMCG)

I, Anup Kumar Srivastava aged 57 years, working as Executive Director (Technical) having office at the National Mission for Clean Ganga (NMCG), D/o WR, RD & GR, Ministry of Jal Shakti do hereby solemnly affirm, and declare as under:

1) That I, the deponent is well conversant with the facts and circumstances of the present case on the basis of the information derived from the official records, and competent to submit this affidavit on behalf of the answering Respondent NMCG. That, NMCG is one of the authorities constituted under River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 issued under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

2) That, the Hon'ble NGT vide order dated 03.07.2024 has issued notice to the respondents and sought reply in the instant matter. The issue raised in the matter relates to the alleged construction of a Rail Bridge project between Daraganj and Jhunsi which is stated to be on the floodplain in the river Ganga. It has been alleged by the applicant that the project is being executed without seeking permission of the NMCG as contemplated in Paragraph 42 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 [herein after referred to as Ganga Authority Order, 2016]. A copy said order dated 03.07.2024 is annexed as **Annexure-I**

3) That, the applicant filed an application before the National Mission of Clean Ganga (NMCG), on 04-04-2023, alleging that the Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) (Respondent no. 8 herein) and its associate company M/s ITD Cementation Pvt (Respondent no. 9 herein), commenced construction of the rail bridge project between Daraganj and Jhunsi without obtaining prior approval or No Objection Certificate from NMCG. It was also alleged that the construction activities are polluting the River Ganga by disposing of the

ATTESTED
NOTARY PUBLIC

construction waste into flow of the river. The applicant had again sent an application dated 29-08-2023 before the NMCG.

4) That the NMCG vide letter dated 01.05.2023 wrote to District Magistrate/ Chairman, District Ganga Committee, Member Secretary, Uttar Pradesh; Pollution Control Board, and Divisional Rail Manager (DRM) Varanasi. A copy of letter is annexed as **Annexure-II.** That, NMCG issued a reminder vide letter dated 08.06.2023 to the Member Secretary, Uttar Pradesh; Pollution Control Board, and Divisional Rail Manager (DRM) Varanasi and sought report/ explanation. A copy of Reminder letter is annexed as **Annexure-III**

5) That Uttar Pradesh Pollution Control Board (respondent no. 7 herein) conducted a field inquiry on 30.05.2023 and submitted their report on 12.06.2023. It was noted that the Respondent no. 9 herein does not have a valid consent NOC, letter for operating the concrete batching plant. A copy of said is annexed as **Annexure-IV**

6) That the State Mission Clean Ganga (respondent no. 4 herein) vide letter dated 26.06.2024 requested the Divisional Railway Manager, Prayagraj to submit the factual comprehensive ground report on the issue raised by the applicant and further to ensure that in case if the waste generated during construction activity including Construction and Demolition Waste is lying/ dumped along the bank of river and in the river bed, it is immediately cleared and safely disposed of scientifically. A copy of letter is annexed as **Annexure-V**

7) That on 06.11.2023, the Respondent no. 2 (NMCG) wrote to the District Magistrate (Respondent no. 6 herein), to halt the on-going construction of the rail bridge project and obtain Approval/ No objection certificate from the Answering Respondent no. 2, NMCG before further proceeding with the construction of the said rail bridge project. They also ensured that Respondent no. 9 operates the concrete batching plant only after obtaining a valid NOC/ Consent from the Uttar Pradesh Pollution Control Board. A copy of said letter is annexed as **Annexure-VI**

NOTARY PUBLIC M. ARYA Reg. No. 19591 GOVT. OF INDIA

8) That in reply to letter dated 06.11.2023, Respondent No. 9 submitted an application dated 17.11.2023. before the respondent no. 2, NMCG stating that no objection letter was received from Respondent no. 7 for the period of 31.03.2024. A copy of said letter is annexed as **Annexure-VII**

9) That on 04-01-2024, respondent no. 2, NMCG further directed respondent no. 6 & 7 to conduct a substantial inquiry with reference to the implementation of the provisions of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act & The

Air (Prevention and Control of Pollution) Act; A copy of said letter is annexed as **Annexure-VIII**

10) That the General Manager of Rail Vikas Nigam Ltd. submitted an application for seeking prior permission regarding the Daraganj Rebuilding Project (Bridge No. 111) on the Ganga River under paragraph 42 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 vide Letter No. RVNL/BSB/G/111/Corr/32/782 dated 01/03/2024. A copy of the said letter is annexed as **Annexure- IX**

11) That NMCG created a Cell having members from NMCG, Central Water Commission (CWC), Central Pollution Control Board (CPCB), SMCG/SPMG of concerned State and one Legal Expert of the NMCG to consider the proposals attracting paragragh 6, 42 of the Authorities Order and make recommendations for the grant of approval or otherwise by the competent authorities. A copy of the OM dated 07.12.2023 is placed at **Annexure- X**

12) That said the application was duly considered by the NMCG in a meeting held on 30/04/2024 considered the proposals whether the provisions of Paragraph 6, 42 of Authority Order, 2016 for grant of Approval or otherwise by the competent Authorities. and observed that the construction of the bridge is already completed and as such it does not fall under the prior- approval clause mentioned under paragraph 42 of the Authority order, 2016.

13) That without prejudice to its rights and contention, the answering respondent submit that in the meeting dated 30/04/2024 it was conveyed to the project proponent that the proposal could be considered under Paragraph 6 (3) of the Authority's Order, 2016 which provides that:

" No person shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries: Provided further that in case any such construction has been completed, beforethe commencement of the Authority's Order, in the River Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries, the National Mission for Clean Ganga shall review such constructions so as to examine as to whether such constructions are causing interruption in the continuous flow of water or pollution in River Ganga or its tributaries, and if that be so, it shall cause for removing them"

14) That under Section 55 of Authorities Order, 2016, functions and powers of District Ganga Committees (DGC) have been defined. Para (1) of it says that- *Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River*

NOTARY PUBLIC M. A. Reg. No. GOVT. OF INDIA

ATTESTED

NOTARY PU

24 SEP 2024

Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 & 7 as per the principles specified in paragraph 4.

15) That under paragraph 24 of the Authorities Order, 2016 provides the powers, duties and functions of State Ganga Committees. Para (1) provides that *Every State Ganga Committee shall, subject to the provisions of the Act and rules made or directions issued thereunder, have the power to take all such measures, including those in paragraphs 6, 7 and 8 as it deems necessary or expedient for effective abatement of pollution and conservation of the River Ganga and for implementing decisions or directions of the National Ganga Council and National Mission for Clean Ganga.*

16) That vide letter dated 02.09.2024, the Respondent no. 8 has submitted a proposal to NMCG for post facto approval for the project, Bridge No. 111 as per Para 6 (3) of Authority order. A copy of said letter is annexed as **Annexure-XI**

17) That, it is humbly submitted that the above said proposal (Para 16) is proposed to be considered and examined by the cell (Para11) in the ensuing meeting scheduled to be held next month and it is submitted that the Hon'ble Tribunal will be apprised accordingly in the matter.

24 SEP 2024

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Delhi on --------that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge based on official record and no part of it is false and nothing material has been concealed therein.

DEPONENT

NOTARY PUBLIC ★ M. ARYA Reg. No. 19591 ★ GOVT. OF INDIA

Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation ★ National Mission for Clean Ganga ★ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

24 SEP 2024

ANNEXURE - I

Item No. 01 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A No. 261/2024 in
Original Application No. 611/2024

Bharatiya Kisan Union (Purwa) Applicant

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 03.07.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Aditya Singh, Adv.

ORDER

1. This original application was listed on 27.05.2024. Since no one had appeared on that date for the applicant, therefore the case was adjourned to 13.09.2024.

2. Applicant has filed I.A. No. 261/2024 seeking early hearing of the OA. Submission of counsel for the applicant is that due to inadvertence he could not see the cause list and could not appear in the matter.

3. On due consideration I.A. No. 261/2024 is allowed and OA is taken up today for hearing on admission.

4. In this original application, the applicant has raised a grievance against the ongoing construction of Rail Bridge between Daraganj and Jhunsi which is stated to be on the floodplain. Further grievance of the

applicant is that the bridge is being constructed in violation of the provisions of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. Learned counsel for the applicant has placed reliance upon clause 42 of the said order which reads as under:-

> " (42) कतिपय मामलों में पूर्व अनुमोदन देना- प्रत्येक व्यक्ति राज्य गंगा समितियां, जिला गंगा संरक्षण समितियां और स्थानीय प्राधिकरण तथा अन्य प्राधिकारी गंगा नदी से संबंधित तथा गंगा नदी या इसकी सहायक नदियों के दायरे में आने वाले क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर, यदि राष्ट्रीय गंगा नदी के निर्णयों को कार्यान्वित करना अपेक्षित है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। नामतः-
> (क) गंगा नदी के डाउन स्ट्रीम जल के प्रवाह को प्रभावित किए बिना गंगा नदी में जल के भण्डारण के डाइवर्जन की प्रणाली;
> (ख) गंगा नदी या नदी के तट पर या इसके बाढ़ योजना क्षेत्रों पर पुलों और सहायक सड़कों तथा तटों का निर्माण;
> (ग) घाटों का निर्माण अथवा किसी भी मौजूदा घाट का विस्तार;
> (घ) घाटों का निर्माण;
> (ड.) जल के संग्रह अथवा डाइवर्जन या नियंत्रण के लिए स्थायी जलीय संरचनाओं का निर्माण अथवा गंगा नदी अथवा इसकी सहायक नदियों का चैनलीकरण;
> (च) पहाड़ी ढलानों और अधिसूचित वन तथा अन्य पर्याकृष्णीय दृष्टि से संवेदी क्षेत्रों का वन कटाव;
> (छ) कोई अन्य कार्यकलाप जो कि पैराग्राफ 4 में सिद्धांतों के विपरीत निर्धारित किए गए हैं उन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। "

5. Referring to the said clause he has submitted that for the construction of the bridge over the River Ganga or its river bank or its flood plain area the approval of the NMCG is required which has not been obtained in the matter. In support of his submission he has also placed reliance upon the communication dated 06.11.2023 (Page 84) sent by the NMCG to the District Magistrate, Prayagraj raising objection to the construction of the said bridge. Further submission of counsel for the applicant is that in the course of construction of the bridge the soil is being dumped in the river bed disturbing the ecology of the river.

6. The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

7. Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

8. List on 26.09.2024

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

July 3, 2024
I.A No. 261/2024 in
Original Application No. 611/2024
AS

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

A

पत्रांक संख्या: TE-12015/3/2023-O/O ED (TECH) NMCG/909 दिनांक: 01.05.2023

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला गंगा समिति – प्रयागराज
जिलाधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट,
प्रयागराज – 211 002
उत्तर प्रदेश

विषय: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा नदी पर दारागंज और झूसी के बीच निर्माणाधीन रेलवे पुल के कार्य के दौरान गंगा नदी में फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने- के संबंध में।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में पत्र क्रमांक BROK/NMCG दिनांकित 04.04.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के संज्ञान में यह लाया गया है कि रेलवे की कार्यदायी संस्था रेल विकास निगम लिमिटेड और आई.टी.डी. सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रयागराज में झूसी से दारागंज के बीच गंगा नदी पर रेल पुल निर्माण के दौरान गंगा नदी में प्रदूषण फैलाया जा रहा है।

2. यह कि जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 3187 (अ). दिनांक 07.10.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) के अंतर्गत, एनएमसीजी का एक प्राधिकरण के रूप में गठन, अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के नियंत्रण व रोकथाम एवं नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन, राज्य गंगा समिति और जिला गंगा समिति के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु किया गया है।

3. यह कि उपर्युक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप राज्य गंगा समिति और जिला गंगा समिति के माध्यम से प्राप्त एनएमसीजी की पूर्व स्वीकृति/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति गंगा अथवा गंगा की अन्य सहायक नदियों के किनारे/तल/बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र में आवासीय या वाणिज्यिक या औद्योगिक या किसी अन्य किसी प्रयोजन से स्थायी अथवा अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा। अधिसूचना में स्पष्टतः निर्दिष्ट है कि गंगा नदी या नदी के तट पर या इसके बाढ़ योजना क्षेत्रों में पुलों और सहायक सड़कों तथा तटों के निर्माण संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। अधिसूचना में यह भी प्रावधानित है कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई क्रियाकलाप अथवा किसी परियोजना अथवा प्रक्रिया अथवा क्रियाकलाप नहीं करेगा अथवा जारी रखेगा जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो, चाहे यह क्रियाकलाप इस आदेश में उल्लिखित हो या न हो।

4. यह कि उपरोक्त रेल-पुल निर्माण कार्य के संदर्भ में पूर्व-स्वीकृति अनुमोदन/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु कोई भी प्रस्ताव कार्यदायी संस्था या निर्माण कार्य कर रही आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी

01/5/2023

एन.एम.सी.जी., (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)
प्रथम तल, मेजर ध्यान चन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली–110002
NMCG, (Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India)
First Floor, Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi-110002
Ph.: 011-23072900, 23072901

के द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन - उत्तर प्रदेश/जिला गंगा समिति – प्रयागराज/एनएमसीजी को नहीं भेजा गया है, न ही एनएमसीजी के द्वारा इनको इस रेल पुल निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है।

5. यह कि रेल-पुल निर्माण कार्य के दौरान नदी के प्रवाह क्षेत्र/नदी में निर्माण-कार्यजनित कचरा (सी एंड डी अपशिष्ट) और मलबे आदि को गिराया जा रहा है जिससे गंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है और नदी में प्रदूषण फैल रहा है जो कि भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 3187 (अ). दिनांक 07.10.2016 का उल्लंघन है।

6. अतः, श्रीमान आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में निम्नलिखित बिंदुओं पर शीघ्र कार्यवाही को सुनिश्चित करेः -

(क) इस मामले की यथाशीघ्र जांच करें एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यालय को तथ्यात्मक स्थिति रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करें।

(ख) गंगा समेत गंगा की अन्य सहायक नदियों में या इनके तटों पर कूड़ा-कचड़ा/ मलबे आदि न डाला जाए, यह सुनिश्चित किया जाए और इसकी नियमित निरगरानी की जाए।

(ग) रेल-पुल निर्माण-कार्यजनित कचरा (सी एंड डी अपशिष्ट) और मलवा इत्यादि नदी में डाला गया है तो उसके सफाई/निस्तारण की समुचित व्यवस्था शीघ्र की जाए।

(घ) यह भी आपेक्षित है कि संबंधित अधिकारी इस पत्र के जारी होने के <u>पंद्रह दिनों</u> के भीतर एनएमसीजी को की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रेषित करें।

महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आदेशानुसार।

(डी.पी.मथुरिया)
कार्यकारी निदेशक (तकनीकी),
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

प्रतिलिपि (संबंधित विभागों के साथ मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के अनुरोध के साथ) :-

(1) आयुक्त, प्रयागराज नगर निगम, 1 सरोजनी नायडू मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज- 211 001

(2) परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन – उत्तर प्रदेश, प्लॉट नं. 18, सेक्टर – 7, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ – 226 010

<u>सूचनार्थः</u>

(1) निजी सचिव, महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

191
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

पत्रांक संख्या: TE-12015/3/2023-O/o ED (Tech), NMCG/ 910 दिनांक: 01.05.2023

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं. टीसी- 12वी,
विभूती खंड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

विषय: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा नदी पर दारागंज और झूसी के बीच निर्माणाधीन रेलवे पुल के निर्माण कार्य के दौरान गंगा नदी में फैल रहे प्रदूषण को रोकने - के संबंध में।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में पत्र क्रमांक BROK/NMCG दिनांकित 04.04.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के संज्ञान में यह लाया गया है कि रेलवे की कार्यदायी संस्था रेल विकास निगम लिमिटेड और आई.टी.डी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रयागराज में झूसी से दारागंज के बीच गंगा नदी पर रेल पुल निर्माण के दौरान गंगा नदी में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने एनएमसीजी को यह भी अवगत कराया है कि इसकी शिकायत क्षेत्रीय प्रबंधक-उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज से भी की गई थी जिसके प्रतियुत्तर में यह बताया गया है कि गंगा नदी में जो भी प्रदूषण कारक फैलाए जा रहे हैं उस पर जांच कर कार्यवाही करने की संपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की है। (प्रत्युत्तर की कोपी संदर्भित पत्र के साथ संलग्न नहीं है)

2. यह कि जल संसाधन, नदी विकास एव गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 3187 (अ). दिनांक 07.10.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) के अंतर्गत, एनएमसीजी का एक प्राधिकरण के रूप में गठन, अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के नियंत्रण व रोकथाम एवं नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन राज्य गंगा समिति और जिला गंगा समिति के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु किया गया है।

3. यह कि उपर्युक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप राज्य गंगा समिति और जिला गंगा समिति के माध्यम से प्राप्त एनएमसीजी की पूर्व स्वीकृति/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति गंगा अथवा गंगा की अन्य सहायक नदियों के किनारे/तल/बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र में आवासीय या वाणिज्यिक या औद्योगिक या किसी अन्य किसी प्रयोजन से स्थायी अथवा अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा। अधिसूचना में निर्दिष्ट है कि गंगा नदी या नदी के तट पर या इसके बाढ़ योजना क्षेत्रो मे पुलो और सहायक सड़कों तथा तटों के निर्माण संबंधी मामलो पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है। अधिसूचना में यह भी प्रावधानित है कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई क्रियाकलाप अथवा किसी परियोजना

एन.एम.सी.जी., (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)
प्रथम तल, मेजर ध्यान चन्द नेशनल स्टेडियम, इन्डिया गेट, नई दिल्ली--110002
NMCG, (Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India)
First Floor, Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi-110002
Ph.: 011-23072900, 23072901

अथवा प्रक्रिया अथवा क्रियाकलाप नहीं करेगा अथवा जारी रखेगा जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो, चाहे यह क्रियाकलाप इस आदेश में उल्लिखित हो या न हो।

4. यह कि उपरोक्त रेल पुल निर्माण कार्य के संदर्भ में पूर्व-स्वीकृति अनुमोदन / अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु कोई भी प्रस्ताव/दस्तावेज कार्यदायी संस्था या निर्माण कार्य कर रही रेल विकास निगम लिमिटेड और आई.टी.डी. सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन - उत्तर प्रदेश/जिला गंगा समिति – प्रयागराज/एनएमसीजी को नहीं भेजा गया है, न ही एनएमसीजी के द्वारा इनको इस रेल पुल निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है।

5. यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांकित 13.07.2017 (ओ.ए.सं. 200/2014) द्वारा नदी बाढ़ क्षेत्र संरक्षण निमित निर्गत निर्देश के अनुसार गंगा नदी या नदी के बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र में निर्माण कार्य जनित कचड़ा, कूड़ा, मलवा आदि फेंकना प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने की दशा में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उल्लंघन-कर्ताओं से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने का प्रावधान है।

6. यह कि रेल-पुल निर्माण कार्य के दौरान नदी के प्रवाह क्षेत्र/नदी में निर्माण-कार्यजनित कचरा (सी एंड डी अपशिष्ट) और मलबे आदि को गिराया जा रहा है जिससे गंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है और नदी में प्रदूषण फैल रहा है जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश और केंद्र सरकार के अधिसूचना का0आ0 3187 (अ). दिनांक 07.10.2016 का उल्लंघन है।

7. अतः, श्रीमान आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में निम्नलिखित बिंदुओं पर शीघ्र कार्यवाही को सुनिश्चित करें: -

(क) इस मामले की जांच करें एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यालय को तथ्यात्मक स्थिति रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

(ख) गंगा समेत गंगा की अन्य सहायक नदियों में या इनके तटों पर कूड़ा-कचड़ा/ मलबे आदि न डाला जाए एवं इसकी नियमित निरगरानी की जाए।

(ग) रेल-पुल निर्माण-कार्यजनित कचरा (सी एंड डी अपशिष्ट) और मलबे आदि नदी में डाला गया है तो उल्लंघन-कर्ताओं से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने हेतु उचित कार्रवाई की जाए।

(घ) यह भी आपेक्षित है कि संबंधित अधिकारी इस पत्र के जारी होने के <u>पंद्रह दिनों</u> के भीतर एनएमसीजी को की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रेषित करें।

महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आदेशानुसार।

01.5.2023

(डी.पी. मथुरिया)

कार्यकारी निदेशक (तकनीकी),

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

प्रतिलिपि (संबंधित विभागों के साथ मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के अनुरोध के साथ) : -

(1) सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली- 110032

(2) क्षेत्रीय प्रबंधक- प्रयागराज (उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), सेक्टर- 10, योजना न. 3, आवास विकास परिषद कॉलोनी, झूसी, प्रयागराज

01.5.2023

सूचनार्थः

(1) निजी सचिव, महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

पत्रांक संख्या: TE-12015/3/2023-O/o ED (TECH) NMCG/ ९।। दिनांक: 01.05.2023

सेवा में,

मंडल रेल प्रबधक,
कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक,
नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइंस,
प्रयागराज- 211 001

विषय: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा नदी पर दारागंज और झूसी के बीच निर्माणाधीन रेलवे पुल के निर्माण कार्य के दौरान गंगा नदी में फैल रहे प्रदूषण को रोकने - के संबंध में।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में पत्र क्रमांक BROK/NMCG दिनांकित 04.04.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के संज्ञान में यह लाया गया है कि रेलवे की कार्यदायी संस्था रेल विकास निगम लिमिटेड और आई.टी.डी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रयागराज में झूसी से दारागंज के बीच गंगा नदी पर रेल पुल निर्माण के दौरान गंगा नदी में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने एनएमसीजी को यह भी अवगत कराया है कि इसकी शिकायत क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झूसी प्रयागराज से भी की गई थी जिसके प्रतियुत्तर में यह बताया गया है कि गंगा नदी में जो भी प्रदूषण कारक फैलाए जा रहे हैं उस पर जांच कर संपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की है। (प्रत्युत्तर की कॉपी संदर्भित पत्र के साथ संलग्न नहीं है)

2. यह कि जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 3187 (अ). दिनांक 07.10.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) के अंतर्गत, एनएमसीजी का एक प्राधिकरण के रूप में गठन, अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के नियंत्रण व रोकथाम एवं नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबधन राज्य गंगा समिति और जिला गंगा समिति के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु किया गया है।

3. यह कि उपर्युक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप राज्य गंगा समिति और जिला गंगा समिति के माध्यम से प्राप्त एनएमसीजी की पूर्व स्वीकृति/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति गंगा अथवा गंगा की अन्य सहायक नदियों के किनारे/तल/बाढ़ आवृति परिक्षेत्र में आवासीय या वाणिज्यिक या औद्योगिक या किसी अन्य किसी प्रयोजन से स्थायी अथवा अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा। अधिसूचना में निर्दिष्ट है कि गंगा नदी या नदी के तट पर या इसके बाढ़ योजना क्षेत्रों मे पुलों और सहायक सड़कों तथा तटों के निर्माण संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है। अधिसूचना में यह भी प्रावधानित है कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई क्रियाकलाप अथवा किसी परियोजना

एन.एम.सी.जी., (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)
प्रथम तल, मेजर ध्यान चन्द नेशनल स्टेडियम, इन्डिया गेट, नई दिल्ली-110002
NMCG, (Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India)
First Floor, Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi-110002
Ph.: 011-23072900, 23072901

अथवा प्रक्रिया अथवा क्रियाकलाप नहीं करेगा अथवा जारी रखेगा जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो, चाहे यह क्रियाकलाप इस आदेश में उल्लिखित हो या न हो।

4. यह कि उपरोक्त रेल पुल निर्माण कार्य के संदर्भ में पूर्व-स्वीकृति अनुमोदन / अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु कोई भी प्रस्ताव/दस्तावेज कार्यदायी संस्था या निर्माण कार्य कर रही रेल विकास निगम लिमिटेड और आई.टी.डी. सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन - उत्तर प्रदेश/जिला गंगा समिति - प्रयागराज/एनएमसीजी को नहीं भेजा गया है, न ही एनएमसीजी के द्वारा इनको इस रेल पुल निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है।

5. यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांकित 13.07.2017 (ओ.ए.सं. 200/2014) द्वारा नदी बाढ़ क्षेत्र संरक्षण निमित निर्गत निर्देश के अनुसार गंगा नदी या नदी के बाढ आवृत्ति परिक्षेत्र में निर्माण कार्य जनित कचड़ा, कूड़ा, मलवा आदि फेंकना प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने की दशा मे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उल्लंघन-कर्ताओं से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने का प्रावधान है।

6. यह कि रेल-पुल निर्माण कार्य के दौरान नदी के प्रवाह क्षेत्र/नदी में निर्माण-कार्यजनित कचरा (सी एंड डी अपशिष्ट) और मलबे आदि को गिराया जा रहा है जिससे गंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है और नदी में प्रदूषण फैल रहा है जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश और केंद्र सरकार के अधिसूचना का0आ0 3187 (अ). दिनांक 07.10.2016 का उल्लंघन है।

7. अतः, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपको एतदद्वारा कारण बताने हेतु सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश और केंद्र सरकार के अधिसूचना का0आ0 3187 (अ). दिनांक 07.10.2016 का उल्लंघन के लिए क्यों न इस निर्माण गतिविधि को रोकने के लिए निर्देशित किया जाए और इस उल्लंघन के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाए जाने/ वसूलने की अनुसंसा की जाए।

8. इस पत्र की प्राप्ति की पुष्टि करें, और पत्र के प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर उक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें। स्पष्टीकरण उपलब्ध न कराने अथवा संतोषजनक न होने की स्थिति में यथोचित कानूनी कार्यवाही बिना किसी अग्रिम सूचना के की जाएगी।

महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आदेशानुसार।

(डी.पी.मथुरिया)
कार्यकारी निदेशक (तकनीकी),
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

प्रतिलिपि (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित)-

(1) आई.टी.डी. सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, 9वां तल, प्राइमा बे, टावर- बी, गेट नं. 5, साकी विहार रोड, पोवई मुम्बई- 400072

(2) रेल विकास निगम लिमिटेड, प्लाट नं. 25, प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन बीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली- 110 066

सूचनार्थः-

(1) निजी सचिव, सचिव, रेल मंत्रालय, भारत सरकार

(2) निजी सचिव, महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

01.5.2023

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

फाइल संख्या: TE-12015/3/2023-O/o ED (TECH) NMCG दिनांक: 08.06.2023

सेवामें,

मंडल रेल प्रबंधक/एनईआर,
डीआरएम कार्यालय, उत्तर पूर्व रेलवे,
कैंसर अस्पताल के पास, लहरतारा,
वाराणसी (उत्तर प्रदेश)- 221106

विषय: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा नदी पर दारागंज और झूसी के बीच निर्माणाधीन रेलवे पुल के निर्माण कार्य के दौरान गंगा नदी में फैल रहे प्रदुषण को रोकने - के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मंडल अभियंता/संपदा ,उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज के पत्र संख्या 400/नमामि गंगे दिनांक 04.05.2023 के साथ संलग्न इस कार्यालय के पत्र संख्या TE-12015/3/2023-O/o ED (TECH) NMCG दिनांक 01.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो कि स्वत: स्पष्ट है (प्रतिलिपि संलग्न)।

उपरोक्त सम्बन्ध में मांगी गई वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई हैं जो कि आपके कार्यालय के स्तर पर लंबित हैं।

अत: आपसे अनुरोध है कि जांच कर मांगी गई वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण इस कार्यालय को जल्दी से जल्दी भिजवायें जिससे की इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कि जा सकें।

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्न: ऊपरोक्त अनुसार।

भवदीय

(डी.पी.मथुरिया) 8.6.23
कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:
1. महानिदेशक, एनएमसीजी, नई दिल्ली -110001
2. श्री एस.एस.सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन) पूर्वा(, बी-203, बद्री आवास योजना, तेलियरगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - 211004

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

फाइल संख्या: TE-12015/3/2023-O/o ED (TECH) NMCG दिनांक: 08.06.2023

सेवामें,

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन संख्या टीसी-12वीं,
विभूति खंड, गोमती नगर,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)- 226 010

विषय: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा नदी पर दारागंज और झूसी के बीच निर्माणाधीन रेलवे पुल के निर्माण कार्य के दौरान गंगा नदी में फैल रहे प्रदुषण को रोकने - के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या TE-12015/3/2023-O/o ED (TECH) NMCG दिनांक 01.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो कि स्वत: स्पष्ट है (प्रतिलिपि संलग्न)।

उपरोक्त सम्बन्ध में मांगी गई वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई हैं जो कि आपके कार्यालय के स्तर पर लंबित हैं।

अत: आपसे अनुरोध है कि जांच कर मांगी गई वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण भिजवायें तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के द्वारा दी गई स्वीकृति में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रदुषण व् मलबा निस्तारण से सम्बंधित की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को जल्दी से जल्दी अवगत करवाएं जिससे कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कि जा सकें।

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्न: ऊपरोक्त अनुसार ।

भवदीय

(डी.पी.मथुरिया) 8.6.23
कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. महानिदेशक, एनएमसीजी, नई दिल्ली -110001
2. श्री एस.एस.सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन) पूर्वा(, बी-203, बद्री आवास योजना, तेलियरगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - 211004

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 211019
Email-roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं0 G00849/J-37/2023 दिनांक 12/06/2023

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक, (तकनीकी),
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन,
प्रथम तल, मेजर ध्यान चन्द्र नेशनल स्टेडियम,
इण्डिया गेट, नई दिल्ली।

विषयः उ0प्र0 के प्रयागराज जिले में गंगा नदी पर दारागंज और झूँसी के बीच निमार्णाधीन रेलवे पुल के कार्यों के दौरान गंगा नदी में फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 TE-12015/3/2023/O/O ED(TECH) NMGC/909दिनॉक 01.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज के पत्र सं0 194 दिनॉक 25.05.2023 कें माध्यम से इस कार्यालय में दिनॉक 02.06.2023 को एवं सीधे भी इस कार्यालय मे दिनॉक 08.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनॉक 30.05.2023 को कराया गया। निरीक्षण आख्या की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है। निरीक्षण में पाये गये तथ्यों के दृष्टिगत महाप्रबन्धक, रेल विकास निगम लिमिटेड, झूँसी रेलवे स्टेशन, झूँसी, प्रयागराज एवं मेसर्स आई0टी0डी0 सीमेन्टेशन इण्डिया लि0, झूँसी रेलवे स्टेशन, झूँसी, प्रयागराज को प्रेषित नोटिसों की छायाप्रति संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,
12/06/2023
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रयागराज को उनके पत्र सं0 194 दिनॉक 25.05.2023 के कम में।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

12/06/2023
क्षेत्रीय अधिकारी

F:\SUNIL KUMAR PA\R.O.1\RO.1.DOCX

200

दूरभाष / PH. : 0532-2569727

73

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर--10, योजना संख्या--3, झूँसी, प्रयागराज -- 211019

Email-ropprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं0 G00847/I-37/2023

दिनांक 13/06/2023

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
रेल विकास निगम लिमिटेड,
झूँसी रेलवे स्टेशन, झूँसी,
प्रयागराज।

विषयः उ0प्र0 के प्रयागराज जिले में गंगा नदी पर दारागंज और झूँसी के बीच निमार्णाधीन रेलवे पुल के कार्यों के दौरान गंगा नदी में फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कार्यकारी निदेशक, (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के पत्र दिनाँक 01.05.2023 जो जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज को सम्बोधित है। उक्त पत्र मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रयागराज के पत्र दिनॉक 25.05.2023 के माध्यम से इस कार्यालय में दिनॉक 02.06.2023 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली का उपरोक्त पत्र सीधे इस कार्यालय में भी दिनॉक 08.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त पत्रों के कम में निर्माणाधीन रेलवे पुल का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनॉक 30.05.2023 को कराया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधि के रूप में श्री वी0के0 अग्रवाल, महाप्रबन्धन एवं श्री पी0पी0 शुक्ला, वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक उपस्थित थे। निरीक्षण के समय संज्ञान में आया कि गंगा नदी पर निर्माण किये जा रहे उपरोक्त रेलवे पुल के संबंध में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के कार्यालय से सम्पर्क कर नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

13-6-2023

क्षेत्रीय अधिकारी

F:\SUNIL KUMAR PA\R.O 1\RO 1.DOCX

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 211019

Email-roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं0 .... दिनांक ....

सेवा में,

मेसर्स आई0टी0डी0 सीमेन्टेशन इण्डिया लि0,
झूँसी रेलवे स्टेशन, झूँसी,
प्रयागराज।

विषयः उ0प्र0 के प्रयागराज जिले में गंगा नदी पर दारागंज और झूँसी के बीच निमार्णाधीन रेलवे पुल के कार्यों के दौरान गंगा नदी में फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कार्यकारी निदेशक, (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.05.2023 जो जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज को सम्बोधित है। उक्त पत्र मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रयागराज के पत्र दिनॉक 25.05.2023 के माध्यम से इस कार्यालय में दिनॉक 02.06.2023 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली का उपरोक्त पत्र सीधे भी इस कार्यालय में दिनॉक 08.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त पत्रों के कम में निर्माणाधीन रेलवे पुल का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनॉक 30.05.2023 को कराया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधि के रूप में श्री संतीश त्रिपाठी उपस्थित थे। निरीक्षण के समय संज्ञान में आया कि आप द्वारा स्थापित किये गये बैचिंग प्लान्ट को निर्गत सहमति आदेश की वैधता दिनॉक 31.03.2023 को समाप्त हो चुकी है, उक्त के उपरांत आप द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं किया गया है, जो जल एवं वायु अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनॉक 31.03.2023 के उपरांत बिना सहमति आदेश प्राप्त किये इकाई संचालन के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा इकाई का संचालन बोर्ड से सहमति आदेश प्राप्त करके ही करें, अन्यथा की स्थिति में सीपीसीबी की गाईड लाईन के अनुसार डिफाल्टर अवधि में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

F:\SUNIL KUMAR PA\R.O 1\RO 1.DOCX

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के पत्र संख्या TE-12015/3/2013-O/o ED(Tech),NMGC/910 दिनांक 01.05.2023 के अनुपालन में प्रयागराज जिले में गंगा नदी पर दारागंज और झूंसी के बीच निर्माणाधीन रेलवे पुल के निर्माण कार्य के दौरान गंगा नदी में फैल रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या :—

उक्त स्थल का निरीक्षण दिनांक 30.05.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय रेलवे पुल के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री वी0के0 अग्रवाल, महाप्रबन्धक एवं श्री पी0सी0 शुक्ला, वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक तथा मेसर्स आई0टी0डी0 सीमेन्टेशन इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री सतीश त्रिपाठी उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:—

1. श्री वी0के0 अग्रवाल द्वारा अवगत कराया गया कि रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा प्रयागराज जिले में गंगा नदी पर दारागंज और झूंसी के बीच रेलवे पुल के निर्माण कार्य हेतु मेसर्स आई0टी0डी0 सीमेन्टेशन इण्डिया लिमिटेड को अनुबन्धित किया गया हैं।
2. निर्माण कार्य में सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि का उपयोग किये जाने हेतु मेसर्स आई0टी0डी0 सीमेन्टेशन इण्डिया लिमिटेड द्वारा झूंसी रेलवे स्टेशन के पास रेडी मिक्स कंक्रीट प्लाण्ट स्थापित किया गया हैं जहां पर रेडी मिक्स कंक्रीट को तैयार कर वाहनो द्वारा रेलवे पुल निर्माण में उपयोग हेतु ले जाया जाता हैं। गंगा नदी के कछार क्षेत्र मे रेडी मिक्स कंक्रीट को तैयार नहीं किया जाता है।
3. मेसर्स आई0टी0डी0 सीमेन्टेशन इण्डिया लिमिटेड को रेडी मिक्स कंक्रीट प्लाण्ट क्षमता 60 घनमीटर प्रतिदिन के संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति निर्गत हैं, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.03.2023 तक हैं जो वर्तमान में समाप्त हो चुकी हैं।
4. निर्माणाधीन रेलवे पुल के निरीक्षण में रेल पुल निर्माण--कार्यजनित (सी एण्ड डी अपशिष्ट) गंगा के कछार क्षेत्र मे नहीं पाया गया। निर्माणाधीन रेलवे पुल के समीप रेलवे पुल निर्माण से सम्बन्धित वस्तुओं जैसे सरिया, टीन, लकड़ी इत्यादि के अवशेष पाये जाने के सम्बन्ध में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि सरिया, टीन, लकड़ी इत्यादि के अवशेष को काम समाप्त हो जाने के बाद गंगा नदी/गंगा नदी क्षेत्र से हटाकर झूंसी रेलवे स्टेशन के समीप अस्थाई स्टोर में ले जाया जाता हैं।
5. कार्यदायी संस्था रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री पी0सी0 शुक्ला, वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक तथा मेसर्स आई0टी0डी0 सीमेन्टेशन इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री सतीश त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि रेल पुल निर्माण के दौरान बाहर से किसी भी प्रकार की बालू अथवा मिट्टी नहीं लाई जाती हैं। रेल पुल निर्माण हेतु आवश्यक खुदाई के दौरान गंगा नदी/गंगा नदी क्षेत्र से निकाली गयी बालू अथवा मिट्टी का ही उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाता हैं। निरीक्षण के समय बाहर से बालू अथवा मिट्टी लाते नहीं पाया गया।

क्रमशः 2

6. कार्यदायी संस्था रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री पी०सी० शुक्ला, वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि रेलवे पुल का निर्माण कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
7. प्रयागराज जिले में गंगा नदी पर दारागंज और झूसी के बीच रेलवे पुल के निर्माण कार्य हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से पूर्व अनुमोदन लिये जाने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में उपस्थित कार्यदायी संस्था रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री पी०सी० शुक्ला, वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक तथा मेसर्स आई०टी०डी० सीमेन्टेशन इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री सतीश त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित रेलवे पुल के निर्माण हेतु वर्ष 2003–04 में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा स्वीकृति दी गयी थी तथा निर्माण हेतु बजट की स्वीकृति वर्ष 2010–11 में प्राप्त हुयी थी। अतः संज्ञान में न होने के कारण रेलवे पुल निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से पूर्व अनुमोदन नहीं लिया जा सका है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रयागराज जिले में गंगा नदी पर दारागंज और झूसी के बीच रेलवे पुल के निर्माण कार्य हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अनुमोदन (अनापत्ति प्रमाण–पत्र) प्राप्त किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था रेल विकास निगम लिमिटेड एवं मेसर्स आई०टी०डी० सीमेन्टेशन इण्डिया लिमिटेड को निर्देशित किये जाने तथा रेडी मिक्स कंक्रीट प्लाण्ट क्षमता 60 घनमीटर प्रतिदिन के संचालन हेतु मेसर्स आई०टी०डी० सीमेन्टेशन इण्डिया लिमिटेड को बिना सहमति प्राप्त किये प्लाण्ट का संचालन न करने हेतु नोटिस प्रेषित किये जाने तथा पूर्व में बिना सहमति प्राप्त किये प्लाण्ट का संचालन करने की अवधि हेतु नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने तथा जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित एवं वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित एवं सम्बन्धित अन्य पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत इकाई को नोटिस प्रेषित किये जाने हेतु निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(रामजस प्रसाद)
वैज्ञानिक सहायक

सहायक पर्यावरण अभियंता/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

12/06/2023
AEE

204

1
30/6/23

30/6/23

STATE MISSION FOR CLEAN GANGA - UTTAR PRADESH
DEPARTMENT OF NAMAMI GANGE & RURAL WATER SUPPLY
PLOT NO. 18, SECTOR-7, GOMTI NAGAR EXTENSION, LUCKNOW- 226010, UTTAR PRADESH
E-mail : apd@smcg-up.org, www.smcg-up.org

Reference No: 733/05/SMCG-U.P/ 01

Date: ~~May~~ 26/06/2023

To,

Divisional Railway Manager- Prayagraj
Nawab Yusuf Road
Civil Lines, Prayagraj
Uttar Pradesh-211001

Pertains to NER pratapgarh.

S. DEN/CO

Subject: Complaint by Bhartiya Kisan Union (Poorva) dated 05 April 2023 w.r.t construction of Railway bridge over River Ganga between Daraganj and Jhusi in Prayagraj without consent/authorization of NMCG

References: (i) Complaint filed by BKU-wide letter reference no. SMCG/01 dated 04/04/2023 and 05/SMCG/01 dated 05/04/2023

(ii) Letter issued by NMCG Reference No. TE-12015/3/2023-O/O ED (TECH) NMCG/909 dated 01.05.2023

Dear Sir,

General Secretary, Bhartiya Kisan Union (Poorva) through his above-referred letter has pointed out the ongoing construction of a Railway bridge by M/s Rail Vikas Nigam Limited through ITD Cementation India Limited over River Ganga between Daraganj and Jhusi in Prayagraj without consent/authorization of NMCG as a result of which the health of River Ganges is negatively impacted with further request for taking prudent legal action against the executing agency engaged for construction of the railway bridge and others responsible for contravention of the provision/s of the Authority Notification dated 07 October 2016.

National Mission for Clean Ganga has also taken cognizance of the issue and has issued directions vide reference # 2 above to District Ganga Committee-Prayagraj and State Mission for Clean Ganga-Uttar Pradesh to initiate necessary prudent action. You are requested to submit a factual comprehensive ground report on the issue raised by M/s Bhartiya Kisan Union and further, it is to be ensured that in case if the waste generated during construction activity including Construction and Demolition Waste is lying/dumped along the Bank of the River and in the river bed, it is immediately cleared and safely disposed of scientifically.

Annexures: As Above

Yours sincerely
22-06-23
(Dr. Balkar Singh)
Project Director/ Secretary Namami Gange and Rural Water Supply

As case pertain to NE Railway letter should be forwarded accordingly

Continued from page 1

CC for information:

(i) PS to Principal Secretary, Namami Gange and Rural Water Supply Department, GoUP
(ii) Member Secretary, UPPCB, Lucknow
(iii). CMD, Rail Vikas Nigam Limited to submit a copy of Prior Environment Clearance and copy of Consent to Establish obtained from UPPCB along with its compliance report and direct ITD Cementation India Limited to comply with the NMCG directions issued vide letter reference No. TE-12015/3/2023-O/O ED (TECH) NMCG/909 dated 01 05.2023
(iv) Chairman, District Ganga Committee/ District Magistrate- Prayagraj
(v) Member Convener DGC/Divisional Forest Officer, Prayagraj

Project Director / Secretary Namami Gange and
Rural Water Supply Department

स्पीड पोस्ट/ईमेल

संख्या- TE-12015/3/2023-O/o ED(TECH) -एनएमसीजी
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
****

पहली मंजिल, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम,
निकट इंडिया गेट, नई दिल्ली - 110001
दिनांक: 06.11. 2023

सेवामें,

जिलाधिकारी, प्रयागराज
जिला गंगा सुरक्षा समिति
जिलाधिकारी कार्यालय, प्रयागराज,
उत्तर प्रदेश - 211002 Email: dmall@nic.in

विषयः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन) एनएमसीजी (की पूर्व अनुमति के बिना गंगा नदी पर दारागंज और झूसी के बीच निर्माणाधीन रेलवे पुल के निर्माण कार्य के दौरान गंगा नदी में फैल रहे प्रदुषण को रोकने तथा एनएमसीजी के पूर्व अनुमति के कार्य शुरू करने पर उचित विधिक कार्यवाही हेतु।

कृपया महाप्रबधक, रेल विकास निगम लिमिटेड, झूसी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 17.06.2023 जिसमें कहा गया है कि निर्माण कंपनी आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने पत्रांक संख्या गंगा/ब्रिज/आरवीएनएल/01सी/509 11.05.2023 के माध्यम से उपरोक्त विषय में स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है। इस संबंध में कृपया यूपीपीसीबी के पत्र दिनांक 12.06.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लें जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि स्थापित बैचिंग प्लांट के लिए अपेक्षित अनुमोदन 31.03.2023 को समाप्त हो गया है और पुल निर्माण साइट पर किया जा रहा कोई भी निर्माण कार्य जल और वायु अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन है ।

2. स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) को भारत सरकार द्वारा एक प्राधिकरण के रूप में दिनांक 07.10.2016 की अधिसूचना "का.आ. 3187(अ)" के तहत गठित किया गया है और इसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण का नियंत्रण, रोकथाम और संवर्धन की शक्ति प्रदान की गई है । उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, एनएमसीजी को प्रदूषण और कायाकल्प, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों को लिखित रूप में जारी एवम लागू करना है।

भारत सरकार की जल शक्ति मत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी अधिसूचना 42 की पैरा 2016 अक्टूबर 07 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित विवरण का पूर्णरूपेण उल्लंघन होता है जिसमें यह कहा गया है कि निम्नलिखित मामलों पर पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है :

i. गंगा नदी की डाउन स्ट्रीम जल की प्रवाह को प्रभावित किये बिना गंगा नदी में जल की भण्डारण के डायवर्जन की प्रणाली।

ii. गंगा नदी या नदी की तट पर या इसके बाद योजना क्षेत्रों पर पुलों और सहायक सड़कों तथा तटो का निर्माण।

3. इसी संदर्भ में यह भी अवगत करना आवश्यक है की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार:

15. अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निदेशों के उपबंधों के उल्लघन के लिए शास्ति–(1) जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों में से किसी का पालन करने मे असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में कारावास से, जिसकी अवधि पाच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनो से, और यदि ऐसे असफलता या उल्लंघन चालू रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसी प्रथम असफलता या उल्लघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता या उल्लंघन चालू रहता है, पाच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

4. यह की उपर्युक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप राज्य गंगा समिति और जिला गंगा समिति के माध्यम से प्राप्त एन.एम.सी.जी. की पूर्व स्वीकृति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति गंगा अथवा गंगा की अन्य सहायक नदियों के किनारे/ तल/ बाढ़ आवृति परीक्षेत्र में आवासीय या वाणिज्यक या औद्योगिक या किसी अन्य प्रयोजन से स्थायी अथवा अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा । अधिसूचना मे निर्दष्ट है की गंगा नदी या नदी के तट पर या इसके बाढ़ योजना क्षेत्रों में पुलों और सहायक सड़को तथा तटों के निर्माण सम्बन्धी मामलो पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। अधिसूचना में ये भी प्रावधानित है की कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई क्रियाकलाप अथवा किसी परियोजना अथवा प्रक्रिया अथवा क्रियाकलाप नहीं करेगा अथवा जारी रखेगा जिससे गंगा नदी में प्रदुषण हो चाहे यह क्रियाकलाप इस आदेश में उल्लेखित हो या न हो।

5. यहां उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांकित 13.07.2017 (ओ.ए.सं. 200/2014 में पारित) द्वारा नदी बाढ क्षेत्र सरक्षण निमित निर्गत निर्देश के अनुसार गंगा नदी या नदी के बाढ़ आवृत्ति परिक्षेत्र में निर्माण कार्य जनित कचडा, कूड़ा, मलबा आदि फेंकना प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने की दशा में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ समितियों द्वारा उल्लंघन-कर्ताओं से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश है।

6. इसलिए उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अनुरोध किया जाता है कि एनजीटी से अनुरोध/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही रेलवे पुल के निर्माण कार्य को अग्रसर किया जाये। अतः यह भी सुनिश्चित किया जाये की आईटीडी सीमेंटशन इंडिया लिमिटेड को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गयी बैचिंग प्लांट को निर्गत सहमति जिसकी आदेश वैधता दिनांक 31.03.2023 को समाप्त हो चुकी है को पुनः प्राप्त किया जाये।

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार।

भवदीय

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश राज्य मिशन फॉर क्लीन गंगा (एसपीएमजी -उप्र) प्लाट नंबर -18 सेक्टर -7 गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ -226010
2. श्री विनय कुमार अग्रवाल, महाप्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड, झूसी प्रयागराज 211019 (Email. gmrvnlpryj@gmail.com)
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ-226010
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवास विकास परिषद् कॉलोनी सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूसी प्रयागराज-221506
5. मंडल रेल प्रबंधक, कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइंस, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) - 211001
6. महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे/प्रधान कार्यालय, सूबेदारगंज, ए-ब्लॉक जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) - 211015
7. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण, उत्तर मध्य रेलवे/प्रधान कार्यालय, सूबेदारगंज, ए-ब्लॉक जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) - 211015

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. महानिदेशक, एनएमसीजी, नई दिल्ली -110001
2. श्री एस.एस.सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन) पूर्वा(, बी-203, बद्री आवास योजना, तेलियरगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - 211004.

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)

ANNEXURE-VII

30

ITD Cem
Commitment Reliability & Quality

ITD Cementation India Limited
Ganga Bridge Project
Jhusi Railway Station,
District: Allahabad (UP) Pin: - 211019

Ref: Ganga Bridge/JV-RVNL/01B/615 Date:17-11-2023

सेवा में
कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन,
एनएमसीजी (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन,
नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार)
प्रथम स्थल मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम,
इंडिया गेट नई दिल्ली- 110002

Sent Room
Bizat
Does not pertain to undersigned

विषय: उत्तर प्रदेश के की प्रयागराज जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और एनएमसीजी की पूर्व अनुमति के बिना गंगा नदी पर दारागंज और झूसी की बीच निर्माणाधीन रेलवे पुल की निर्माण कार्य के दौरान गंगा नदी में फैल रहे प्रदूषण को रोकने तथा एनएमसीजी की पूर्व अनुमति के कार्य शुरू करने पर उचित विधिक कार्यवाही हेतु।

सन्दर्भ: आपका पत्र संख्या TE-12015/3/2023-O/o ED (TECH)- एनएमसीजी/ दिनांक 06-11-2023.

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपका पत्र **संख्या: TE-12015/3/2023-O/o ED (TECH)- एनएमसीजी/ दिनांक: 06-11-2023** को संज्ञान में लेते हुए आपको स्पष्टीकरण हमारे द्वारा दिया जा रहा है, जो की निम्नलिखित है।

1. यह कि रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा हमारी कंपनी मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड को रेल सेतु संख्या 111 के निर्माण के लिए दिया गया है, जो की दारागंज से झूसी तक होना है, यह कार्य फरवरी 2023 तक प्रस्तावित था, जिसके अनुसार 31-03-2023 तक अनापत्ति पत्र पर्यावरण विभाग से लिया गया था जिसकी छाया प्रति संलग्न है **संख्या- 125733/UPPCB/ALLAHABAD(UPPCBRO)/CTO/WATER/ALLAHABAD/2021 दिनांक 20.04.2011.** वर्तमान में आईटीडी द्वारा रेल सेतु संख्या 111 के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है व बैचिंग प्लांट हटाने का कार्य भी पूरा हो चुका है, इस संबंध में हमने बैचिंग प्लांट चलाने हेतु पुनः सहमति आदेश ले लिया था, जिसकी वैधता दिनांक 31-03-2024 तक है।

2. यह कि आईटीडी के पत्र **संख्या: Ganga Bridge/RVNL/01/509 दिनांक: 11.05.2023** का अवलोकन करने का कष्ट करें। आईटीडी के द्वारा पर्यावरण के सभी मानकों को पालन किया जा रहा है, इस संबंध में निम्नलिखित अनापत्ति पत्र संबंधित विभागों से लिए जा चुके हैं।

a) अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) प्रयागराज, **पत्र संख्या: 561 / एoजेoएo-1 /2021 दिनांक: 03.12.2021.**
b) उप जिलाधिकारी- प्रयागराज मेला प्रशासन, **पत्र संख्या: 21/15-मा० मे० (2022-23) दिनांक: 07.04.2022.**

c) मेलाधिकारी प्रयागराज पत्र संख्या: 2712/15-कु० मे० (2018-19)) दिनांक: 25.10.2018- छाया प्रति संलग्न है.

d) प्रभारी अधिकारी (माघ मेला प्राधिकरण) प्रयागराज पत्र संख्या:1395/15- मा० मे०(2021-22)) दिनांक:15-12-2020.

e) प्रभारी अधिकारी (माघ मेला प्राधिकरण) प्रयागराज पत्र संख्या: 781/15- मा० मे०(2021-22)) दिनांक:24-09-2021.

f) उप जिलाधिकारी- सदर –प्रयागराज पत्र संख्या: 1913/एस०टी०- सदर /2018 दिनांक:24-10-2018.

g) अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) प्रयागराज, पत्र संख्या: 29(4)/ एस०टी०/नगर /2018 दिनांक: 23.10.2018.

3. यह कि आईटीडी के द्वारा सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है इसके अतिरिक्त आपके सुझाव के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर पोस्ट फैक्ट अनुमोदन को हम तैयार हैं, कृपया इस संबंध में हमें वेबसाइट एड्रेस प्रदान करने की कृपा करें।
4. यह कि आईटीडी के द्वारा माघ मेला जिला प्रशासन -प्रयागराज के दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है और पर्यावरण के सभी मानकों को भी पूरा किया गया है।
5. यह कि आईटीडी के द्वारा निर्माण कार्य के बीच कोई भी बाहरी मालवा, कचरा, निर्माण कार्य जनित नदी में नहीं फेंका गया है, और जिला प्रशासन व पर्यावरण विभाग के सभी निर्देशों व मानकों का पालन किया जा रहा है।
6. यह कि आईटीडी के द्वारा बैचिंग प्लांट चलाने हेतु पुन: सहमति आदेश ले लिया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31-03-2024 तक है जिसकी छाया प्रति संलग्न है **संख्या-185565/UPPCB/ALLAHABAD(UPPCBRO)/CTO/BOTH/PRAYAGRAJ/2023 dated 23.06.2023.** जिला प्रशासन- प्रयागराज से सेतु निर्माण के लिए अनापत्ति पत्र प्राप्त किया गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विषय के संबंध में हमारे द्वारा स्पष्टीकरण प्रेषित किया जाता है, कृपया इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

भवदीय

प्रबंध निदेशक
आई. टी. डी. सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड
नियर झूंसी रेलवे स्टेशन, प्रयागराज- 211019

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज, जिला गंगा सुरक्षा समिति, जिलाधिकारी कार्यालय, प्रयागराज- उत्तर प्रदेश 211002
2. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश राज्य मिशन फॉर क्लीन गंगा (स्पंज-उप) प्लाट नंबर-18 सेक्टर-7 गोमती नगर एक्सटेंशन लखनऊ,-226010.
3. श्री विनय कुमार अग्रवाल, महाप्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड, झांसी प्रयागराज-211019.
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (व्रत -2) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ-226010.
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास परिषद कॉलोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूंसी, प्रयागराज -221506.
6. मंडल रेल प्रबंधक, कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक, NER, बनारस, उत्तर प्रदेश ।
7. महा निदेशक, एनएमसीजी, नई दिल्ली-110001

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

TE-12015/3/2023-O/o

दिनांक: 04/01/2024

सेवा में

जिलाधिकारी, प्रयागराज
जिला गंगा सुरक्षा समिति
जिलाधिकारी कार्यालय, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश - 211002

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB)
बिल्डिंग- TC-12V
विभूतिखण्ड, गोमती नगर
लखनऊ- 226010

विषयः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की पूर्व अनुमति के बिना गंगा नदी पर दारागंज और झूसी के बीच निर्माणाधीन अनाधिकृत रेलवे पुल के निर्माण कार्य के दौरान गंगा नदी में फैल रहे प्रदूषण को रोकने तथा एनएमसीजी के पूर्व अनुमति के कार्य शुरू करने पर उचित विधिक कार्यवाही हेतु।

महोदय,
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पत्र संख्या: TE-12015/3/2023-0/0 ED (TECH) एनएमसीजी / दिनांक 06.11.2023 (संलग्नक-1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जिलाधिकारी, प्रयागराज एवं अन्य संबंधित को भेजा गया था।

2. इस पत्र के सम्बन्ध में आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट झूसी रेलवे स्टेशन प्रयागराज ने पत्र दिनांक 17.11.2023 (संलग्नक-2) के द्वारा स्पष्टीकरण दिया है।

3. उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक BKU (P)/07 दिनांक 11.12.2023 (संलग्नक-3) राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन (पूर्वा), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से संलग्न दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुआ है, जिसमें दिनांक 6 नवंबर 2023 के पत्र के संदर्भ में तथ्य अवगत करवाए गए है।

एन.एम.सी.जी., (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)
प्रथम तल, मेजर ध्यान चन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली-110002
NMCG, (Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India)
First Floor, Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi-110002
Ph.: 011-23072900, 23072901

4. पत्र दिनांक 6 नवंबर 2023 जिसमें उक्त उल्लेखित रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य पर रोक [illegible] कहा गया, परन्तु पत्र के उपरांत भी अवैध रूप से चल रहा कार्य निरंतर चल रहा है।

5. उपरोक्त तथ्यों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आईटीडी कंपनी और राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन (पूर्वा), प्रयागराज दोनों के स्पष्टीकरण मे विरोधाभास पाया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा पत्र संख्या: TE-12015/3/2023-0/0 ED (TECH) एनएमसीजी / दिनांक: 06.11.2023 जिलाधिकारी, प्रयागराज एवं अन्य संबंधित को जारी करने के बाद भी आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट झूसी रेलवे स्टेशन प्रयागराज ने ब्रिज का निर्माण कार्य अभी जारी है जैसा कि राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन (पूर्वा) के पत्र के छायाचित्रों के देखने से प्रतीत होता है।

6. अतः इस सम्बन्ध मे डिस्ट्रिक्ट गंगा समिति उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) को निर्देशित किया जाता है कि वे तथ्यों का वास्तविक निरीक्षण कर जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत उचित करवाई करें।

इस पत्र को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन द्वारा जारी किया जाता है।

भवदीय

अनूप कुमार श्रीवास्तव
कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)

संलग्नक

1. पत्र संख्या: TE-12015/3/2023-0/0 ED (TECH) एनएमसीजी / दिनांक: 06.11.2023
2. आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट झूसी रेलवे स्टेशन प्रयागराज ने पत्र दिनांक 17.11.2023
3. पत्र क्रमांक BKU (P)/07 दिनांक 11.12.2023

ANNEXURE -IX
1

® रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

Office of the Project Director,
Ganga Bridge 111, (Jhusi – Daraganj)
(Near Jhusi Railway Station), Jhusi
Prayagraj, PIN-211019 (UP), India
V.K. Agrawal/IRSE
GM/Rail Vikas Nigam Limited
Email: gmrvnlpryj@gmail.com
dycecvinay@gmail.com
M.No.:7458914011

RVNL/BSB/G/111/Corr./32/782

Date: 01-03-2024

(उचित माध्यम जिला गंगा समिति द्वारा)

1. कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

O/o ED (T), NMCG
Dy. No. 211
Date 11/3/24

2. जिलाधिकारी, प्रयागराज
जिला गंगा सुरक्षा समिति जिलाधिकारी कार्यालय,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

विषय: अनापत्ति पत्र हेतु नमामि गैंग जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार

सन्दर्भ: (i) आपके कार्यालय का पत्रांक संख्या TE/2015/3/202-0/0ED (TECH) एवं एन एम सी जी / दिनॉक 06/11/2023.

(ii) वन संरक्षक प्रभारी प्रभावी निदेशक सामाजिक वानिकी विभाग प्रयागराज का पत्रांक संख्या 3014/15-1 दिनाँक 27-02-2024

क्रमांक	विषय	विवरण
1.	कार्य का नाम	Daraganj-Rebuilding (Bridge no. 111 on Ganga)
2.	कार्यदायी संस्था	Rail Vikas Nigam Limited
3.	कार्य करने वाली संस्था का नाम	ITDC-BBJ (JV) Kolkata
4.	एग्रीमेंट नंबर	Contract Agreement no: RVNL/BSB/Ganga Bridge/18-19/Works/Agt.03/Dated: 06.10.2020
5.	रेलवे का P.B. No.	Old P.B No. 121- (2003-04) New P.B. No. 339 (2022-23)
6.	स्थान	Between Jhusi – Daraganj Latitude: 14589378, Longitude: 2815111 (UTM Zone 44R, WGS84)
7.	लागत (Rs)	495.03 Cr.
8.	पूल का विवरण	Design Basis Report (DBR)
		24.00 Span 76.2 M
		फाउंडेशन – Well Type
		Pier, Pier Cap- RCC
		गर्डर – OWG (Open Web Girder)

ITDC द्वारा पूर्व में अनापति हेतु आपके यहां ऑनलाइन दिनांक 17.01.2024 को भेजा जा चुका है ।

(वी के अग्रवाल)
महाप्रबंधक/ रे.वि.नि.लि/.प्रयागराज

National Mission for Clean Ganga

I/90562/2023 Rd/1/2023-SMD NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA

No. Rd/1/2023-SMD NMCG

राष्ट्रीयस्वच्छगंगामिशन

जलशक्तिमंत्रालय, जलसंसाधन, नदीविकासऔरगंगासंरक्षणविभाग

भारतसरकार

****

प्रथमतल, मेजरध्यानचंद,

नेशनलस्टेडियम, इंडियागेट

नईदिल्ली- 110002

दिनांक- 07.12.2023

Office Memorandum

Subject: *Constitution of Cell to consider proposals for grant of approval from the National Mission for Clean Ganga (NMCG) under the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016*

**

The River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016[herein after referred to as Authority's Order, 2016], issued in accordance to the provisions of the Environment(Protection)Act, 1986, notified vide S.O. 3187(E). dated 7th October 2016, inter-alia provides to take measures for prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries and regulating matters connected therewith or incidental thereto;

2. That, amongst other, sub-paragraph (3)(4)(5) of paragraph 6 the Authority's Order, 2016 envisage, that no person shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes, in the River Ganga, bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries:

   Provided that in exceptional circumstances like natural calamities or religious events at traditional locations, temporary structures can be raised after prior permission of the National Mission for Clean Ganga and further that in case any such construction has been completed, before the commencement of the Authority's Order, 2016 , in the River Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries, the National Mission for Clean Ganga shall review such constructions so as to ascertain whether such constructions are causing interruption in the continuous flow of water or pollution in River Ganga or its tributaries, and to take remedial measures therefore;

3. That further it is provided in the aforesaid Authority's Order, 2016 that no person shall do any act or carry on any project or process or activity which, notwithstanding whether such act has been mentioned in the Authority's Order, 2016 or not, has the effect of causing pollution in the River Ganga.
4. That paragraph 42 of the Authority's order, 2016 further envisages prior approval of the National Mission for Clean Ganga in the following matters: -

   a) engineered diversion and storage of water in River Ganga without affecting the flow of water downstream of the River Ganga;

b) construction of bridges and associated roads and embankments over the River Ganga or at its River Bank or its flood plain area;
c) construction of Ghats or extension of any existing Ghat;
d) construction of jetties;
e) construction of permanent hydraulic structures for storage or diversion or control of waters or channelization of River Ganga or its tributaries;
f) deforestation of hill slopes and notified forest and other eco-sensitive areas;
g) any other activity which contravenes the principles laid out in paragraph 4 which the National Mission for Clean Ganga may specify.

5. Accordingly, a Cell in the NMCG is constituted, to consider the proposals, attracting paragraph 6, 42 of the Authority's Order, 2016 and make recommendations for the grant of approval or otherwise by the competent Authority. The Cell shall comprise of the following:

a. Deputy Director General, NMCG
b. Project Director or Additional Project Director, SPMG of concerned State
c. Member Secretary, Central Pollution Control Board
d. Chief Engineer, Central Water Commission of the concerned State
e. Executive Director (Technical) - Member Secretary
f. In addition, Mr. Ishwer Singh, Consultant (Legal), NMCG

Any other domain expert may also be nominated/associated, on case to case basis, as may be decided with the approval of DG, NMCG. The Cell shall scrutinize the proposal expeditiously and submit their recommendation(s) to the DG, NMCG for approval or otherwise, as the case may be.

6. This issues with the approval of DG, NMCG.

(Anup Kumar Srivastava)
Executive Director (Technical), NMCG

To,

1. Deputy Director General, NMCG
2. Project Director, SPMG, Uttarakhand
3. Project Director, SMCG,Uttar Pradesh
4. Project Director, SPMG,Bihar
5. Project Director, SPMG, Jharkhand
6. Project Director, SPMG, West Bengal
7. Member Secretary, Central Pollution Control Board
8. Chief Engineer, Central Water Commission – UGBO, Lucknow / LGBO, Patna / T&BDBO, Kolkata / YBO, New Delhi / NBO, Bhopal
9. Sri Ishwer Singh, Legal Expert, NMCG

Copy for kind information to: –

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

Office of the Project Director,
Ganga Bridge 111, (Jhusi – Daraganj)
(Near Jhusi Railway Station), Jhusi
Prayagraj, PIN-211019 (UP), India
V.K. Agrawal/IRSE
CPM/Rail Vikas Nigam Limited
Email: gmrvnlpryj@gmail.com
dycecvinay@gmail.com
M.No.:7458914011

No: - RVNL/BSB/GB/111/Corr./37/925

O/o ED (T), NMCG
Dy. No. 654
Date 9/9/24

Date: - 02-09-2024

Executive Director (Tech.)
National mission for clean Gnaga

Sub: - Regarding post facto approval of Br no 111 as per section 6(3) of Authority order.
Ref: - (i) Minutes of the 2nd meeting of the cell held on 30th April 2024 from 10.30 AM onwards at NMCG dated 31/05/2024
(ii) Office memorandum of Ministry of environment & climate change dated 06.10.2024
(iii) Railway board letter no. 2023/Proj. /MUTP-III/VR-DRD/1/4 New Delhi, Dated: - 13.10.2023

The proposal for post-facto approval of the construction of Bridge No. 111, located between Daraganj and Jhusi, was submitted through the NMCG online portal under application number NMCG20241711446743 on 01.03.2024. As per Proposal 6 of the minutes of the meeting referenced in (i), the proposal was initially processed under Section 42. However, the NMCG recommendation states that *"Since the construction of the bridge is already completed, it does not fall under the prior approval clause mentioned in Section 42 of the Authority Order. The project can be reviewed under Section 6(3), which permits the NMCG to evaluate projects constructed before 2016."*

Section 6(3) states: *"In case any such construction has been completed before the commencement of this Order, in the riverbank of the River Ganga or its tributaries or active flood plain areas of the River Ganga or its tributaries, the National Mission for Clean Ganga shall review such constructions to examine whether they are causing an interruption in the continuous flow of water or pollution in the River Ganga or its tributaries, and if so, it shall mandate their removal.".*

1. As per the railway letter referenced in (iii), railway projects are exempt from requiring Environmental Clearance (EC) and Coastal Regulation Zone (CRZ) approval, as stipulated under Chapter-IV, Section 11 of the Railway Act, 1989.The office memorandum of **Ministry of environment & climate change under ref(ii) also may be referred.** The section Section 11 of the Railway Act, 1989 states that: -
"Power of railway administrations to execute all necessary works.-Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, but subject to the provisions of this Act and the provisions of any law for the acquisition of land for a public purpose or for companies, and subject also, in the case of a non-Government railway, to the provisions of any contract between the non-Government railway and the Central Government, a railway administration may, forthe purposes of constructing or maintaining a railway -
(a) make or construct in or upon, across, under or over any lands, or any streets, hills, valleys, roads, railway, tramways, or any rivers, canals, brooks, streams or other waters, or any drains, water-pipes, gas-pipes, oil-pipes, sewers, electric supply lines, or telegraph lines, such temporary or permanent inclined-planes, bridges, tunnels, culverts, embankments, adequcts, bridges, roads, lines of rail, ways, passages, conduits, drains, piers, cuttings and fences, in-take wells, tube wells, dams, river training and protection works as it thinks proper".

2. The aforementioned work was initially sanctioned by the Railway Board as part of the rebuilding of IZZAT Bridge No. 111 in 2003-04 Pink Book of Indian Railway. The work was subsequently re-sanctioned in the year 2015-2016 under Pink Book item no 49 due to the bridge's inability to support higher axle loads.

3. The Indian Railway Bridge Manual generally divides a bridge into two parts: the substructure and the superstructure. The substructure refers to the portion that bears the load of the entire superstructure, along with the traffic, and safely transmits it to the ground. This includes components such as the foundation, pier,

2/9/24

12.9.2024

Ms Anjali

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

Office of the Project Director,
Ganga Bridge 111, (Jhusi – Daraganj)
(Near Jhusi Railway Station). Jhusi
Prayagraj, PIN-211019 (UP), India
V.K. Agrawal/IRSE
CPM/Rail Vikas Nigam Limited
Email: gmrvnlpryj@gmail.com
dycecvinay@gmail.com
M.No.:7458914011

and pier shaft. The superstructure represents the part of the bridge that directly carries the traffic load. such as steel girders in this case.

4. The substructural work was completed before March 2023 except some minor work & The batching plant used for casting the foundation and piers of the important bridge was located near Jhusi station (*Altitude: - 592329.16 m E & 2813114.66 m N)* far away from the riverbank, ensuring no disposal of waste into the river. Initially, the pollution control board granted approval for the installation of the batching plant from 20.04.2021 to 31.03.2023. which was later extended from 23.06.2023 to 31.03.2024. Since the project was completed within the approved tenure of the batching plant, no environmental violations occurred.
5. For the superstructural work. which consist of fabrication of girder, launching of girder, installation of bearing & other miscellaneous work. To execute the same a fabrication yard was established near Jhusi station. material was supplied from jhusi end for launching of girders. Most of launching was conducted by launching crane which was assembled on the 1st span which did not contribute to any environmental pollution in the River Ganga.

At present, the construction of Bridge No. 111 has been completed, except for some minor track linking and miscellaneous work. The project is required to be completed before December 2024 due to the prestigious Kumbh Mela. It is important to mention that the double line work between Jhusi and Varanasi has already been completed. After the completion of the work on this bridge, the doubling of the line between Jhusi and Prayagraj will need to be completed. This will be highly beneficial for ground management during events like Kumbh Mela, scheduled to take place from January 2025 to March 2025. **This project was inaugurated by the Honorable Prime Minister, and close monitoring is also being conducted by the PMO office.**

In light of the above, approval of the proposal under Section 6(3) of the 2016 Order is kindly requested.

21/9/2024

V.K. Agrawal
Chief project Manager-I
RVNL

Copy to:
1. **DM/Prayagraj for kind information and NA.**
2. **DRM/BSB for kind information and NA.**
3. **ED/NE/RVNL/BSB for kind information**